न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 11/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/00155

अनवान

1. चेतनसिंह पुत्र गणेशाराम।
2. मोहनसिंह पुत्र गणेशाराम।
3. सुरजकंवर पत्नी गणेशाराम जातियान राजपुत निवासीगण शिवनगर तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण...........

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थी................

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 18.07.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 06.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर में हम प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 960/903 रकबा 0.05 हैक्टर का आया हुआ है उक्त आराजी का लगान कदीमी से हम अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी भी हम प्रार्थीगण के नाम से तज्वीज होती आ रही है उक्त आराजी के पुराना खसरा नंबर 388 थे जिनसे उपरोक्त खसरा नंबर का नवसृजन हुआ है संलग्न मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी के पुराना खसरा नंबर 388 के नक्शे की आकृति के अनुरूप द्वितिय सेटलमेंट द्वारा पुराना नक्शा अनुसार नवीन नक्शे की आकृति का रेकर्ड अपडेट करना था लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारीयो ने ऐसा नही कर लिपिकीय भूल से पुराने नक्शे से भिन्न नवीन नक्शे की आकृति का सृजन कर दिया जो ऐसा करने का द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारीयों को कानूनी अधिकार नहीं था, जिससे उक्त लिपिकीय भूल को दुरस्त करवाने का हम प्रार्थीगण कानूनीया हकदार होने से रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। पुराने नक्शे मे कोई रास्तानुमा लाईन के रूप में आकृति नहीं थी तथा न ही मौके पर ऐसी आकृति थी लेकिन उसके बावजुद भी द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारीयो ने मौके से भिन्न जाकर रास्तानुमा माठ को अंकित करते हुए नवीन नक्शे में गलत आकृति बनाई गई है जो ऐसी स्थिति मौके पर नहीं है। द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारीयो ने लिपिकीय भूल से मौके से भिन्न व पुराने नक्शे से भिन्न आकृति का सृजन किया जो पुराने नक्शे के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत की रेकर्ड दुरस्ती नवीन नक्शे मे किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी के पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे मे रेकर्ड दुरस्ती करते हुए दुरस्ती का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का बावरला, तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि खसरा नं. 960/903 रकबा 0.05 हैक्टर है, उक्त आराजी का पुराना खसरा नं. 388 था, जिससे वर्तमान खसरा नं. का नवसृजन हुआ है, जो संलग्न मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। द्वितीय सेटलमेंट में लिपिकीय भूलवश पुराने नक्शे से भिन्न नवीन नक्शे की आकृति बना दी गई, जबकि पुराने नक्शे एवं मौके पर किसी भी प्रकार की रास्तानुमा आकृति विद्यमान नहीं थी। अतः निवेदन है कि पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में रेकर्ड दुरस्ती का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम फरमाया जावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पुराने खसरा नंबर 388 था जिसके नये खसरा नंबर 838, 840/901 एवं 840/903 बने जिसमें से बाद बंटवाड़ा खसरा नंबर 959/838 रकबा 1.73 हैक्टयेर व 960/903 रकबा 0.05 हैक्टयेर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। शेष भूमि खसरा नंबर 837, 838 व 740/903 प्रार्थीगण के भाई लालसिंह वल्द पातसिंह के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज खसरा नंबर 960/903 रकबा 0.05 हैक्टयेर भूमि राजस्व नक्शे में रास्तानुमा आकृति दर्ज है। जबकि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं चल रहा है। उक्त खसरे की भूमि मूल खेत खसरा नंबर 959/838 में शामिल है। उक्त के संबंध में उत्तर दिशा की तरफ रास्तानुमा खसरा नंबर 840/904 में भी मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है, न ही प्रथम सेटलमेंट के खसरा नंबर 388 में रास्तानुमा आकृति दर्ज थी।

4. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का जवाब राज पैरोकार के आधार पर रेकर्ड दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा शिवनगर पटवार हल्का–बावरला के प्रार्थी खातेदारी खेत खसरा संख्या 960/903 रकबा 0.05 हैक्टेयर की आराजी की पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में रेकर्ड दुरुस्ती की जावे। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)